

1.	विभाग-	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र०
2.	योजना का नाम -	पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना।
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी-	पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की सहायता प्रदान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना व्यवहारित है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक तिमाही रू० 1500/-की धनराशि लाभार्थी के खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से ऑनलाइन अन्तरित की जाती है।
4.	पात्रता की अर्हता-	<ol style="list-style-type: none"> 1.आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी हो। 2.आवेदिका के पति की मृत्यु हो गई हो। 3.आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। 4.आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू० 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। 5.आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न हो रही हो। 6.जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग होने के बावजूद भरण पोषण करने में असमर्थ हैं।
5.	आवेदन की प्रक्रिया-	ऑन-लाइन
6.	लिंक वेबसाईट	http://mahilakalyan.up.nic.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी अथवा उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।